संचिका संख्या :–BRRDA(HQ)BRICS(NDB) 66/16

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
संकल्प

विषयः मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के अन्तर्गत 26 Non-IAP जिलों (किशनगंज को छोड़कर जिसका चयन Hybrid Annuity Model अंतर्गत किया गया है) में 250 या उससे अधिक की आबादी वाले अनजुड़े बसावटों को बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करने हेतु लगभग 4000 कि0मी0 की लम्बाई में ग्रामीण पथों का निर्माण कराने हेतु New Development Bank (BRICS) से ₹ 2310 करोड़ (US$ 350 million) वित्तीय सहायता प्राप्त करने तथा retroactive financing के तहत NDB(BRICS) के साथ किए जाने वाले एकरारनामा के पूर्व निविदा प्रक्रिया पूरी कर पथों का निर्माण करने लिए सैद्धांतिक सहमति के संबंध में।

राज्य के 27 Non-IAP जिलों,यथा, अररिया, किशनगंज, बाँका, बेगुसराय, भागलपुर, आरा, बक्सर, छपरा (सारण), दरभंगा, पुर्वी चम्पारण, गोपालगंज, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूणियाँ, सहरसा, समस्तीपुर, शेखपुरा, शिवहर, सिवान, सुपौल एवं वैशाली में 250 या उँससे अधिक आबादी वाले सभी अनजुड़े बसावटों को मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के तहत बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करना राज्य सरकार का लक्ष्य है ताकि राज्य में ग्रामीण जनता को कृषि उत्पादों के सही मूल्य के अतिरिक्त स्वास्थ्य, शिक्षा एवं बाजार की अच्छी सुविधा प्राप्त हो सके।

मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना अन्तर्गत 27 Non-IAP जिलों में लगभग 38000 कि0मी0 पथों का निर्माण/उन्नयन किया जाना है। 38000 कि0मी0 पथ के निर्माण पर वर्त्तमान दर के अनुसार लगभग ₹30000 करोड़ की आवश्यकता है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार की अपनी निधि से अबतक ₹5492 करोड़ की राशि स्वीकृत है। इस राशि से 10191 कि0 मी0 पथ का निर्माण राज्य योजना से किया जा रहा है।

2. मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के संकल्प की कंडिका–2-2 में योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार के अपने बजट/भारत सरकार से प्राप्त राशि एवं बाहय् श्रोत से करने का प्रावधान है।

3. वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 66/2015–607/वि0 दिनांक 09.07.2015 के द्वारा आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार से प्राप्त पत्रके आलोक में NDB(BRICS) बैंक से आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु 10000 कि0 मी0 पथों के निर्माण हेतु कुल ₹8000 (US$ 1333.00 million) करोड़ की अनुमानित लागत के विरूद्ध NDB(BRICS) बैंक से ₹ 5600 करोड़ एवं राज्य की अपनी निधि से ₹2400 करोड़ का प्रस्ताव मांगा गया था। वित्त विभाग, बिहार के पत्रांक WM-66/2015/F-692 दिनांक 04.08.2015 के द्वारा प्रस्ताव आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया। दिनांक–02.09.2015 को नॉर्थ बलॉक, नई दिल्ली, में आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में संपन्न 52वीं संवीक्षा समिति (Screening Committee) की बैठक में ₹8000 करोड़ की योजना के प्रस्ताव पर विचार किया गया। इस बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि कुल 10000 कि0 मी0 पथों (राशि ₹8000 करोड़) के लिए परियोजना का परिरूप (Project Design) अभी तैयार किया जाय। यह भी सहमति बनी कि योजना का आकार जितना भी हो, उसका 30% राशि राज्य सरकार के बजट से भारित किया जायेगा।

4. तदनुसार वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा Debt Sustainability तथा 30% Counterpart Funding की सहमति प्रदान की गयी।

5. इस योजना का कार्यान्वयन NDB(BRICS) बैंक की मार्गदर्शिका के साथ मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार प्रस्तावित निविदा की प्रक्रिया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (Rural Road Project II) के लिए निर्धारित Model Bidding Document(MBD) के अनुसार होगी।

6. **मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना अन्तर्गत 26 Non-IAP जिलों (किशनगंज को छोड़कर जिसका चयन Hybrid Annuity Model अंतर्गत किया गया है) में 250 या उससे अधिक की आबादी वाले अनजुड़े बसावटों को बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करने हेतु NDB(BRICS) बैंक के Mission Team के दिनांक 06.02.2017 से 15.02.2017 तक बिहार भ्रमण के दौरान प्रथम चरण में ₹3300 करोड़ (500 million US$) की लागत के विरूद्ध लगभग 4000 कि0मी0 ग्रामीण पथों को NDB(BRICS) बैंक से प्राप्त सहायता से निर्माण कराने हेतु सहमति बनी है। इसमे से DEA, भारत सरकार एवं वित्त विभाग की सहमति के आलोक में 70% अर्थात US$ 350 million (₹2310 Crore)**

NDB(BRICS) बैंक ऋण अंश एवं 30 % अर्थात US$ 150 million (₹990 Crore) राज्यांश होगा।

7. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत् निर्णय लिये गये :–

किशनगंज को छोड़कर शेष 26 Non-IAP जिलों में लगभग 4000 कि0मी0 की लंबाई में NDB(BRICS) के मापदंडों के अनुरूप चयनित ग्रामीण पथों का निर्माण कराने के लिए New Development Bank (BRICS) से ₹2310 करोड़ (US$ 350 million) वित्तीय सहायता प्राप्त करने तथा retroactive financing के तहत NDB (BRICS) के साथ किए जाने वाले एकरारनामा के पूर्व निविदा प्रक्रिया पूरी कर पथों का निर्माण कराने की स्वीकृति प्रदान की गई।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण पत्र में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः– BRRDA (HQ)-BRICS(NDB)-66/16 3965 /पटना, दिनांक :– 02.06.17

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः– BRRDA (HQ)-BRICS(NDB)-66/16 3965 /पटना,दिनांकः– 02.06.17

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राज्यकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए इसकी पाँच सौ प्रतियॉ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– BRRDA (HQ)-BRICS(NDB)-66/16 /पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के सचिव/सरकार के सभी विभागों के प्रधान सचिव एवं सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/महालेखाकार, बिहार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– BRRDA (HQ)-BRICS(NDB)-66/16 3965 /पटना, दिनांक :– 02.06.17

प्रतिलिपिः–अभियंता प्रमुख/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग तथा मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– BRRDA (HQ)-BRICS(NDB)-66/16 3965 /पटना, दिनांक :– 02.06.17

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ उपस्थापित करने हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

Memo :– BRRDA (HQ)-BRICS(NDB)-66/16 3965 /Patna dated:- 02.06.17

Copy to:– Shri Garvit Sah, Project Team Leader, Bihar Rural Roads Project, New Development Bank,333 Lujiazui Ring Road,Shanghai-200120 for kind information and necessary needful action.

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– BRRDA (HQ)-BRICS(NDB)-66/16 3965 /पटना, दिनांक :– 02.06.17

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव (MI), आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

(452)

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
मंत्रिपरिषद् के अनुमोदनार्थ संलेख

गोपनीय/मुहरबंद

विषयः मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के अन्तर्गत 26 Non-IAP जिलों (किशनगंज को छोड़कर जिसका चयन Hybrid Annuity Model अंतर्गत किया गया है) में 250 या उससे अधिक की आबादी वाले अनजुड़े बसावटों को बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करने हेतु लगभग 4000 कि0मी0 की लम्बाई में ग्रामीण पथों का निर्माण कराने हेतु New Development Bank (BRICS) से ₹2310 करोड़ (US$ 350 million) वित्तीय सहायता प्राप्त करने तथा retroactive financing के तहत NDB(BRICS)के साथ किए जाने वाले एकरारनामा के पूर्व निविदा प्रक्रिया पूरी कर पथों का निर्माण करने लिए सैद्धांतिक सहमति के संबंध में।

राज्य के 27 Non-IAP जिलों, यथा, अररिया, किशनगंज, बाँका, बेगुसराय, भागलपुर, आरा, बक्सर, छपरा (सारण), दरभंगा, पुर्वी चम्पारण, गोपालगंज, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूणियाँ, सहरसा, समस्तीपुर, शेखपुरा, शिवहर, सिवान, सुपौल एवं वैशाली में 250 या उससे अधिक आबादी वाले सभी अनजुड़े बसावटों को मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के तहत बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करना राज्य सरकार का लक्ष्य है ताकिं राज्य में ग्रामीण जनता को कृषि उत्पादों के सही मूल्य के अतिरिक्त स्वास्थ्य, शिक्षा एवं बाजार की अच्छी सुविधा प्राप्त हो सके।

मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना अन्तर्गत 27 Non-IAP जिलों में लगभग 38000 कि0मी0 पथों का निर्माण/उन्नयन किया जाना है। 38000 कि0मी0 पथ के निर्माण पर वर्त्तमान दर के अनुसार लगभग ₹30000 करोड़ की आवश्यकता है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार की अपनी निधि से अबतक ₹5492 करोड़ की राशि स्वीकृत है। इस राशि से 10191 कि0 मी0 पथ का निर्माण राज्य योजना से किया जा रहा है।

2. मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के संकल्प की कंडिका–2-2 में योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार के अपने बजट/भारत सरकार से प्राप्त राशि एवं बाहय् श्रोत से करने का प्रावधान है। संकल्प के सुसंगत कंडिका की प्रति **अनुसूची–1** पर है।

3. वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 66/2015–607/वि0 दिनांक 09.07.2015 के द्वारा आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार से प्राप्त पत्र के आलोक में NDB(BRICS) बैंक से आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु 10000 कि0 मी0 पथों के निर्माण हेतु कुल ₹8000 (US$1333.00 million) करोड़ की अनुमानित लागत के विरूद्ध NDB(BRICS) बैंक से ₹ 5600 करोड़ एवं राज्य की अपनी निधि से ₹2400 करोड़ का प्रस्ताव मांगा गया था। वित्त विभाग, बिहार के पत्रांक WM-66/2015/F-692 दिनांक 04.08.2015 के द्वारा प्रस्ताव आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया। दिनांक–02.09.2015 को नॉर्थ बलॉक, नई दिल्ली, में आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में संपन्न 52वीं संवीक्षा समिति (Screening Committee) की बैठक में ₹ 8000 करोड़ की योजना के प्रस्ताव पर विचार किया गया। इस बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि कुल 10000 कि0 मी0 पथों (राशि ₹ 8000 करोड़) के लिए परियोजना का परिरूप (Project Design) अभी तैयार किया जाय। यह भी सहमति बनी कि योजना का आकार जितना भी हो, उसका 30% राशि राज्य सरकार के बजट से भारित किया जायेगा। आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार के 52वीं संवीक्षा समिति की बैठक की कार्यवाही **अनुसूची–2** पर है।

4. तदनुसार वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा Debt Sustainability तथा 30% Counterpart Funding की सहमति प्रदान की गयी।

5. इस योजना का कार्यान्वयन NDB(BRICS) बैंक की मार्गदर्शिका के साथ मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार प्रस्तावित निविदा की प्रक्रिया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (Rural Road Project II) के लिए निर्धारित Model Bidding Document (MBD) के अनुसार होगी।

6. **मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना अन्तर्गत 26 Non-IAP जिलों (किशनगंज को छोड़कर जिसका चयन Hybrid Annuity Model अंतर्गत किया गया है) में 250 या उससे अधिक की आबादी वाले अनजुड़े बसावटों को बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करने हेतु NDB(BRICS) बैंक के Mission Team के दिनांक 06.02.2017 से 15.02.2017 तक बिहार भ्रमण के दौरान प्रथम चरण में ₹3300 करोड़ (500 million US$) की लागत के विरूद्ध लगभग 4000 कि0मी0 ग्रामीण पथों को NDB(BRICS) बैंक से प्राप्त सहायता से निर्माण**

कराने हेतु सहमति बनी है। इसमे से DEA, भारत सरकार एवं वित्त विभाग की सहमति के आलोक में 70% अर्थात US$ 350 million (₹2310 Crore) NDB (BRICS) बैंक ऋण अंश एवं 30 % अर्थात US$ 150 million (₹990 Crore) राज्यांश होगा। (अनुसूची –3)।

7. **तद्नुसार किशनगंज को छोड़कर शेष 26 Non-IAP जिलों में लगभग 4000 कि0मी0 की लंबाई में NDB(BRICS) के मापदंडों के अनुरूप चयनित ग्रामीण पथों का निर्माण कराने के लिए New Development Bank (BRICS) से ₹2310 करोड़ (US$ 350 million) वित्तीय सहायता प्राप्त करने तथा retroactive financing के तहत NDB(BRICS) के साथ किए जाने वाले एकरारनामा के पूर्व निविदा प्रक्रिया पूरी कर पथों का निर्माण करने के लिए सैद्धांतिक सहमति प्राप्त करने का प्रस्ताव है।**

8. संलेख एवं प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री की सहमति प्राप्त है।

9. प्रस्ताव पर लोक वित्त समिति की स्वीकृति प्राप्त है।

10. उपर्युक्त कंडिका–7 के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्रार्थित है।

24/5/17

(विनय कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– BRRDA(HQ)BRICS(NDB)-66/16 3789 अनु० पटना, दिनांकः– 24.05.2017

प्रतिलिपि :–45 अतिरिक्त प्रतियों के साथ मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की आगामी बैठक में सम्मिलित करने हेतु प्रेषित।

24/5/17
सचिव

(452)

जाँच – पत्र

1.	विभाग का नाम :–	ग्रामीण कार्य विभाग
2.	संचिका संख्या :–	BRRDA(HQ)BRICS(NDB)-66/16
3.	प्रस्ताव का विषय :–	**मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के अन्तर्गत 26 Non-IAP जिलों (किशनगंज को छोड़कर जिसका चयन Hybrid Annuity Model अंतर्गत किया गया है) में 250 या उससे अधिक की आबादी वाले अनजुड़े बसावटों को बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करने हेतु लगभग 4000 कि0मी0 की लम्बाई में ग्रामीण पथों का निर्माण कराने हेतु New Development Bank (BRICS) से ₹2310 करोड़ (US$ 350 million) वित्तीय सहायता प्राप्त करने तथा retroactive financing के तहत NDB(BRICS)के साथ किए जाने वाले एकरारनामा के पूर्व निविदा प्रक्रिया पूरी कर पथों का निर्माण करने लिए सैद्धांतिक सहमति के संबंध में।**
4.	क्या हर संलेख के उपर विषय साफ लिख दिया गया है एवं उपान्त में गोपनीय लिखा गया है :–	हाँ
5.	क्या प्रस्ताव संबंधी सभी मूल बातों का उल्लेख कर दिया गया है :–	हाँ
6.	जिन विभागों से परामर्श अपेक्षित था, क्या वे संलेख से सहमत है :–	हाँ
7.	व्यय मूलक सभी प्रस्तावों में वित्त विभाग की सहमति ले ली गयी है बजट उपबंध किया जा चुका है जो लागत व्यय विवरण संलेख में संलग्न कर दिया गया है या नहीं एवं इसका उल्लेख संलेख में कर दिया गया है या नहीं।	विभाग द्वारा कार्रवाई की जानी है।

8.	यदि वित्त विभाग, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग या किसी अन्य विभाग की सहमति प्राप्त की गयी है तो उन विभागों द्वारा जिन बिन्दुओं पर सहमति दी गयी है और यदि कोई शर्त लगाये गये हैं, उनका स्पष्ट उल्लेख संलेख में किया गया है और प्रस्ताव तदनुसार है।	लागू नहीं होता है।
9.	क्या संलेख पर प्रभारी मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है एवं उसे संलेख में लिख दिया गया है।	हाँ
10.	क्या संलेख वाली संचिका के साथ और सुसंगत संचिकाएं लगा दी गयी है और उन्हें निदेशित कर दिया गया है।	हाँ
11.	नये पदों पर सृजन एवं उत्क्रमण के प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति के अतिरिक्त यदि योजना मद में हो तो योजना विभाग और गैर योजना मद में हो तो प्रशासी पद वर्ग समिति की सहमति प्राप्त कर ली गयी है।	लागू नहीं होता है।
12.	ऐसे मामले में जहाँ लोक सेवा आयोग से परामर्श जरूरी है क्या लोक सेवा आयोग के पत्रा की प्रतिलिपि संलग्न कर दी गयी है।	लागू नहीं होता है।
13.	सेवाओं में और पदों पर नियुक्ति के मामले में :– (क) क्या संलेख में हर उम्मीदवार की योजनाओं का पूरा उल्लेख कर दिया गया है। (ख) क्या सीधी भत्ता वालों के पूर्ववृत्त सत्यापित कर लिये गये है।	लागू नहीं होता है।
14.	प्रोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के मामलों में क्या संलेख में ऐसी कोई कंडिका है जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जातियों के लिये स्थान आरक्षण के संबंध में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है और साथ ही यह स्पष्ट कर लिया गया है कि प्रस्तावित नियुक्ति में आरक्षण का लिहाजा रखा गया है और यदि नहीं तो उसका कारण एवं शर्त्त कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की सहमति ली गयी है या नहीं । कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने अगर कुछ शर्त्तो के साथ सहमति दी है तो उनका उल्लेख किया गया है अथवा नहीं।	लागू नहीं होता है।
15.	(i) क्या प्रोन्नति के लिये प्रस्तावित पदाधिकारियों के सेवा नियमावली में प्रोन्नति के लिये निर्धारित सभी अहर्त्ता और शर्त्त पूरी कर ली है। (ii)जिस पद पर प्रोन्नति प्रस्तावित है वह स्थायी रूप	लागू नहीं होता है।

	स्वीकृत है या अस्थायी। (iii)प्रोन्नति स्थायी/परीक्षयमान या अस्थायी रूप से प्रस्तावित है।	
16.	क्या सम्पुष्टि या प्रोन्नति विषय प्रस्तावों में अंतिम रूप से वरीयता निर्धारित है और यदि किसी का अवक्रमण सुपरसेशन है तो क्या संलेखों में कारणों का उल्लेख कर लिया गया है।	लागू नहीं होता है।
17.	प्रोन्नति या मौलिक नियुक्ति के मामलों में :– (क) क्या प्रोन्नति या नियुक्ति किये जाने वाले पदाधिकारियों के विरूध (किन्हीं अभियोग के संबंध में कोई कार्रवाई चल रही है। (ख) यदि कोई कार्रवाई चल रही है तो क्या उसका उल्लेख संलेख में कर दिया गया है। (ग) क्या प्रोन्नति के लिये प्रस्तावित पदाधिकारियों के संबंध में निगरानी विभाग से स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त है।	लागू नहीं होता है।
18.	लोक सेवा आयोग की अनुशंसा की प्रत्याशा में तदर्थ नियुक्ति/ प्रोन्नति का उसके अवधि विस्तार के प्रस्ताव में निम्नलिखित बिन्दुओं की भी जाँच कर ली जाय :– **(क)**1– लोक सेवा आयोग की अधिसूचना पत्र किस पत्र से कब भेजा गया है। 2–क्या लोक सेवा आयोग का अनुशंसा तीन महीने से अधिक अवधि से लंबित है। 3–क्या लोक सेवा आयोग द्वारा कोई अतिरिक्त सूचना मांगी गयी है, जो विभाग से भेजना लंबित है। 4-वर्त्तमान तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नतिसर्वप्रथम अब स्वीकृत की गयी थी और कितने में भेजने लंबित है। 5-नियुक्ति/प्रोन्नति को नियमित करने में विलम्ब का कारण क्या है। **(ख)** 1–क्या तदर्थ प्रोन्नति के लिये प्रस्तावित पदाधिकारियों के संबंध में वरीयता या अन्य किसी बिन्दु पर विवाद है। 2–कोई, प्रथम द्रष्टया आरोप प्रमाणित है। 3-किसी आरक्षित पद को अनारक्षित करने का प्रस्ताव निहित है।	लागू नहीं होता है।

	(ग) क्या लोक सेवा आयोग के सदस्यों को छोड़करविभागीयप्रोन्नति समिति के अन्य सदस्यों की बैठक में प्रस्तावित तदर्थ नियुक्ति की अनुशंसा की गयी है।	
19.	अस्थायी पद की अवधि बढ़ाने के लिये विलम्ब से प्राप्त प्रस्तावों के मामलों में क्या संलेख में ऐसी कोई कंडिका दी गयी है जिसमें यह स्पष्ट दिया गया है कि विलम्ब क्यों हुआ और दोषी पदाधिकारी को दण्ड देने के लिये विभाग ने कौन–सी कार्रवाई की गयी है :–	लागू नहीं होता है।
20.	क्या संलेख प्रधान सचिव/सचिव द्वारा हस्ताक्षरित है या नहीं (संलेख पर प्रधान सचिव/सचिव की अनुपस्थिति में ही संयुक्त सचिव या इससे उच्चतर पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित का हस्ताक्षर होना चाहिए।	हाँ।
21.	संलेख कम्प्यूटर टंकित करने के बाद उत्तरदायी पदाधिकारी द्वारा उसे पढ़ा गया है या नहीं एवं संलेख की प्रति स्वच्छ एवं स्पष्ट है या नहीं।	हाँ
22.	क्या संलेख को प्रधान सचिव/सचिव ने देखा है या नहीं (संलेख उनके माध्यम से ही विभागीय मंत्री के पास भेजा जाना चाहिए)	हाँ
23.	संलेख के साथ प्रेस नोट संलग्न है या नहीं। (प्रेस नोट 35 प्रतियों में अलग फोल्डर में संलग्न किया जाना चाहिए)	संलग्न है।
24.	कार्यान्वयन अनुसूची संलग्न है या नहीं। (कार्यान्वयन अनुसूची 5 (पाँच) प्रतियों में अलग फोल्डर में संलग्न किया जाना चाहिए।)	संलग्न है।
25.	जाँच प्रपत्र संलग्न है या नहीं। (जाँच पत्र 5 (पाँच) प्रतियों में अलग फोल्डर में संलग्न किया जाना चाहिए।)	संलग्न है।
26.	संलेख की प्रतियाँ संलग्न है या नहीं। (संलेख की 3 (तीन) मूल हस्ताक्षरित प्रतियाँ तथा 45 (पैंतालीस) छायाप्रति संलग्न किया जाना चाहिए। संलेख की एक मूल हस्ताक्षरित प्रति विभाग की संचिका में रहनी चाहिए।	संलग्न है।

(विनय कुमार)
सचिव

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

प्रेस नोट

मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना अन्तर्गत 26 Non-IAP जिलों (किशनगंज को छोड़कर जिसका चयन Hybrid Annuity Model अंतर्गत किया गया है) यथा अररिया, बाँका, बेगुसराय, भागलपुर, आरा, बक्सर, छपरा (सारण), दरभंगा, पुर्वी चम्पारण, गोपालगंज, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णियाँ, सहरसा, समस्तीपुर, शेखपुरा, शिवहर, सिवान, सुपौल एवं वैशाली में कुल लम्बाई 4000 कि0मी0 के ग्रामीण पथों की प्राथमिकता तय कर निर्माण किया जायेगा। इस हेतु कुल ₹3300 करोड़ रूपये के जिसमें ₹2310 **करोड़ New Development Bank (BRICS)** बैंक से ऋण सहायता के रूप में एवं शेष ₹990 करोड़ राज्य बजट से वहन करने पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गयी।

(विनय कुमार)
सचिव

(453)

कार्यान्वयन अनुसूची का विवरण

विभाग का नाम – ग्रामीण कार्य विभाग

संचिका संख्या – BRRDA(HQ)BRICS(NDB)-66/16

विषयः– मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के अन्तर्गत 26 Non-IAP जिलों (किशनगंज को छोड़कर जिसका चयन Hybrid Annuity Model अंतर्गत किया गया है) **में 250 या उससे अधिक की आबादी वाले अनजुड़े बसावटों को बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करने हेतु 4000 कि0मी0 ग्रामीण पथों का निर्माण कराने हेतु New Development Bank (BRICS) से ₹2310 करोड़ (US$ 350 million) वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए सैद्धांतिक सहमति के संबंध में।**

निर्णय का सारांश	योजना, लाभ/फलाफल	समय सीमा एवं कार्यान्वयन की रीति/ मंत्रिमंडल सचिवालय को प्रतिवेदित किया जाना (अधिकतम सात दिन)
मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना अन्तर्गत 26 Non-IAP जिलों (किशनगंज को छोड़कर जिसका चयन Hybrid Annuity Model अंतर्गत किया गया है) यथा अररिया, बाँका, बेगुसराय, भागलपुर, आरा, बक्सर, छपरा (सारण), दरभंगा, पुर्वी चम्पारण, गोपालगंज, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णियाँ, सहरसा, समस्तीपुर, शेखपुरा, शिवहर, सिवान, सुपौल एवं वैशाली में कुल लम्बाई 4000 कि0मी0 के ग्रामीण पथों की प्राथमिकता तय कर निर्माण किया जायेगा। इस हेतु कुल ₹3300 करोड़ रूपये के जिसमें ₹2310 करोड़ New Development Bank (BRICS) से ऋण सहायता के रूप में एवं शेष ₹990 करोड़ राज्य बजट से वहन करने पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गयी।	मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के तहत 250 से अधिक से आबादी वाले अनजुड़े/बसावटों को सम्पर्कता प्राप्त होने पर ग्रामीण जनता को कृषि उत्पादों के सही मूल्य के अतिरिक्त स्वास्थ्य, शिक्षा एवं बाजार की सुविधा उपलब्ध हो सकेगा साथ ही ग्रामीणों की आर्थिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा।	मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिये जाने के उपरान्त संकल्प सात (07) दिन में निर्गत कर दिया जायेगा।

24/5/17

(विनय कुमार)
सचिव